सत्यमेव जयते

| राजस्थान राजपत्र<br>विशेषांक | RAJASTHAN GAZETTE<br>Extraordinary |
|---|---|
| साधिकार प्रकाशित | Published by Authority |

श्रावण 13, शुक्रवार, शाके 1945-अगस्त 04, 2023
*Sravana 13, Friday , Saka 1945- August 04, 2023*

**भाग-1(ख)**

**महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।**

**कृषि (ग्रुप-2) विभाग**

अधिसूचना

**जयपुर, जुलाई 24, 2023**

**संख्या प.4(8)कृषि/ग्रुप-2/2022 :-**जैसा कि राज्य सरकार द्वारा राजस्थान कृषि उपज अधिनियम 1961 की धारा 3 के तहत समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 07.07.2022 द्वारा कृषि उपज मंडी समिति (अनाज) जयपुर एवं कृषि उपज मण्डी समिति (फल-सब्जी) जयपुर के क्षेत्र में से पंचायत समिति, दूदू की 19 ग्राम पंचायते क्रमशः उरसेवा, गहलोता, गागरडू, गैजी, दूदू, दांतरी, धांधोली, नांनण, पडासौली, बिंगोलाव, ममाणा, मरवा, जडावता, रहलाना, साखून, साली, सिरोहीकलां, सुनाडिया, हरसौली तथा पंचायत समिति मौजमाबाद की 21 ग्राम पंचायते क्रमशः अखैपुरा, उगरियावास, खुडियाला, गंगातीकलां, गाडोता, गिदानी, गुढाबेरसल, झरना, झाग, धमाणा, बिचून, बिहारीपुरा, बौराज, महला, मांगलवाडा, मोखमुपरा, मौजमाबाद, रसीली, सावरदा, सांवली, सेवा तथा पंचायत समिति सांभरलेक की 21 ग्राम पचांयते क्रमशः सिनोदिया, मुण्डवाडा, काजीपुरा, खण्डेल, जयसिंहपुरा, त्योद, तेज्या का वास, नौरंगपुरा, आकोदा, काचरोदा, कोरसीना, चैनपुरा, नरायना, बरडोटी, रोजडी, शार्दुलपुरा, सुरसिंहपुरा, हबसपुरा, हिरनोदा, श्रीरामपुरा, खेडीराम के समस्त क्षेत्र को पृथक कर एक नई कृषि उपज मण्डी समिति, दूदू के नाम से स्थापित करने के आशय की घोषणा की गई थी।

आगे राजस्थान कृषि उपज अधिनियम 1961 की धारा 4(1) एवं 4(2) के तहत समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 21.03.2023 द्वारा अधिसूचित कृषि उपजो के क्रय-विक्रय के संबंध मे पंचायत समिति, दूदू की 19 ग्राम पंचायते क्रमशः उरसेवा, गहलोता, गागरडू, गैजी, दूदू, दांतरी, धांधोली, नांनण, पडासौली, बिंगोलाव, ममाणा, मरवा, जडावता, रहलाना, साखून, साली, सिरोहीकलां, सुनाडिया, हरसौली तथा पंचायत समिति मौजमाबाद की 21 ग्राम पंचायते क्रमशः अखैपुरा, उगरियावास, खुडियाला, गंगातीकलां, गाडोता, गिदानी, गुढाबेरसल, झरना, झाग, धमाणा, बिचून, बिहारीपुरा, बौराज, महला, मांगलवाडा, मोखमुपरा, मौजमाबाद, रसीली, सावरदा, सांवली, सेवा तथा पंचायत समिति सांभरलेक की 12 ग्राम पंचायते क्रमशः आकोदा, काचरोदा, कोरसीना, चैनपुरा, नरायना, बरटोडी, रोजडी, शार्दुलपुरा, सुरसिंहपुरा, हबसपुरा, हिरनोदा, श्रीरामपुरा, खेडीराम तथा पंचायत समिति फागी की 20 ग्राम पंचायतें क्रमशः स.जयसिंहपुरा, कांसेल, मण्डोर, राटवाडा, लदाना, पचाला, लसाडिया, चौरू, नारेडा, मण्डावरी, मेंदवास, फागी, नीमेडा, किशोरपुरा, मांदी, परवण, चकवाडा, सुल्तानियां, कुडली, भोजपुरा एवं नगरपालिका क्षेत्र नरायना तथा गौण मण्डी यार्ड नरायना का समस्त क्षेत्र को कृषि उपज मण्डी समिति, दूदू का मण्डी क्षेत्र घोषित किया गया था।

आगे राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1961 की धारा 6 व 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियो के प्रयोग मे उपरोक्त मण्डी क्षेत्र के लिए अधिसूचित कृषि उपजो के क्रय-विक्रय के नियमन हेतु राज्य

सरकार कृषि उपज मण्डी समिति, दूदू का कृषि उपजो के क्रय-विक्रय के संबंध में नियमन एवं इस कृषि उपज मण्डी समिति को 'द' श्रेणी में वर्गीकृत की जाती है।

राज्य सरकार उपरोक्त अधिनियम की धारा 7(1) (ख) के अन्तर्गत पृथक मंडी समिति का गठन करती है और धारा 7 की उपधारा (1) (ख) एवं धारा 7(2)(ब) के अन्तर्गत उक्त मंडी समिति में निम्नांकित सदस्यों का मनोनयन करती हैः-

**कृषक वर्गः-**

1. श्रीमती गुलाब देवी ग्राम पोस्ट डगरियावास तह0 मौजमाबाद जिला जयपुर। (ओबीसी महिला)
2. श्री महावीर सिंह ग्राम पोस्ट चौरू तह0 फागी जिला जयपुर
3. श्रीमती सीतादेवी मीणा वार्ड न0 13 सुभाष कालोनी बिचून तह0 (एस.टी महिला.)
4. श्री विकास नागर ग्राम पोस्ट उगरियावास तह0 मौजमाबाद जिला जयपुर हाल निवासी 98 ए अमृतनगर मुहानामण्डी रोड मानसरोवर जयपुर।
5. श्री श्योजीराम फंगाल ग्राम शेरपुरा पोस्ट सवाई जयसिंहपुरा तह0 फागी जिला जयपुर
6. श्रीमती संजना देवी भाटी ग्राम नीमली सपंच की ढाणी, पोस्ट मंमाणात तह0 दूदू। जिला जयपुर (महिला एससी )

**व्यापारी वर्गः-**

1.श्री हरिनारायण गोदारा ग्राम पोस्ट सुनाडिया तह0 दूदू जिला जयपुर

**ग्राम सेवा सहकारी समिति सदस्यः-**

1. श्रीमती बदाम देवी (अध्यक्ष ग्राम सेवा सहकारी समिति गाडोता) ग्राम कापडियावास पोस्ट गाडोता तह0 मौजमाबाद जिला जयपुर।

**स्थानीय निकाय प्रतिनिधि**

1. श्री विनोद दायमा (वार्ड पंच ग्राम पंचायत दूदू) खटीको का मौहल्ला वार्ड न0 15 दूदू जिला जयपुर

**विधानसभा का सदस्यः-**

1. श्री बाबूलाल नागर माननीय विधायक, दूदू।

**राज्य सरकार द्वारा नामितः-**

1.श्री रमेश चन्द्र धाबाई, धाबाई सदन ग्राम पोस्ट बिचून तह0 मौजमाबाद जिला जयपुर।

उपरोक्त अधिनियम के अभिप्राय के लिए अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत उपरोक्त मंडी क्षेत्र के लिए एक मंडी स्थापित करने की वांछना कृषि उपज मंडी समिति, दूदू से की जाती है ।

उपरोक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) उस तारीख से प्रभावी होगी जिससे कि उपरोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) के अन्तर्गत मंडी यार्ड की घोषणा की जायेगी।

**राज्यपाल की आज्ञा से,**

कुन्तल विश्नोई,
**शासन उप सचिव।**

---

**राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।**